कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज 20, सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज

# वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सी सी टी वी एवं बॉयोमेट्रिक मशीन हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध हेतु निविदा

निविदा जमा करने की नियत तिथि एवं समय : 16.04.2025 अपराहन 11:00 बजे तक

#### महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)-II, उत्तर प्रदेश 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

विषय: वितीय वर्ष 2025-26 अर्थात 01.05.2025 से 31.03.2026 तक मुख्यालय प्रयागराज एवं शाखा कार्यालय लखनऊ में स्थापित/चलित बॉयोमेट्रिक मशीनों एवं सी सी टी वी आदि के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए इच्छुक एवं पात्र कंपनियों से सीमित मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का कार्यालय इस कार्यालय (मुख्य कार्यालय प्रयागराज में और शाखा कार्यालय में स्थित लखनऊ) की बॉयोमेट्रिक मशीनों और सी सी टी वी के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु सीमित मुहरबंद निविदाएं प्राप्त करना चाहता है, जिसमें एन वी आर, डी वी आर डिस्प्ले यूनिट आदि शामिल हैं, जो अनुलग्नक-I के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी के साथ हैं:

- 1. इस कार्यालय (प्रयागराज और शाखा कार्यालय लखनऊ) में अनुलग्नक-। के अनुसार सभी स्थापित बॉयोमेट्रिक मशीनें और सी सी टी वी काम करने की स्थिति में हैं हालाँकि, कंपनी निविदा को दरें देने से पहले 03.04.2025 से 07.04.2025 तक प्रातः 10:30 बजे से 01:30 बजे के बीच अपनी संतुष्टि हेतु इसकी जाँच/निरीक्षण कर सकती है। बोलियाँ जमा करने के बाद दरों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।
- 2. बोलियाँ "दो बोली प्रणाली" तरीके से प्रस्तुत की जाएँगी। (i) तकनीकी बोली में अनुलग्नक-II के अनुसार कंपनी की व्यावसायिक प्रोफ़ाइल दर्शाई जानी चाहिए और (ii) वितीय बोली में अनुलग्नक-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में रखरखाव दर दर्शाई जानी चाहिए, जिसमें निविदा जांच की सभी शर्तों और नियमों पर विचार किया जाना चाहिए। बोलियाँ व्यापक ए एम सी के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग दरों का संकेत दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, बोलीदाता की प्रोफ़ाइल के संबंध में तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर, केवल उन बोलीदाताओं के लिए वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जाएगा जो तकनीकी बोली में सफल होते हैं । तकनीकी बोली को एक अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से "बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी के व्यापक रखरखाव हेतु तकनीकी बोली" का उल्लेख हो तथा वितीय बोली को एक अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से "बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी के व्यापक रखरखाव हेतु वितीय बोली" का उल्लेख हो। तकनीकी बोली और वितीय बोली दोनों को एक ही लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसका शीर्षक "बॉयोमेट्रिक मशीनों और सी सी टी वी के व्यापक रखरखाव हेतु निविदा" हो।
- 3. वित्तीय बोली में उल्लिखित सभी वस्तुओं के लिए दर/इकाई और कुल राशि अनिवार्य रूप से निविदा दस्तावेज में उद्धृत की जानी चाहिए। हालांकि, एल-1 कंपनी का निर्धारण कंपनी द्वारा उद्धृत समग्र कीमतों के आधार पर किया जाएगा।

- 4. विधिवत भरे गए निविदा श्री डी. सी. चतुर्वेदी, विष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, 20, सरोजिनी नायडू मार्ग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-211001 को संबोधित करके भेजे जाने चाहिए या अधिकारी के प्रकोष्ठ में रखे गए बॉक्स में डाले जा सकते हैं, तािक 16.04.2025 को सुबह 11.00 बजे तक या उससे पहले हम तक पहुँच जाएँ। निर्धारित समय और तिथि के बाद प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोलियां इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में 16.04.2025 को सुबह 11:45 बजे खोली जाएंगी। वित्तीय बोली इस कार्यालय की समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को खोली जाएगी।
- 5. सफल बोलीदाता को इस निविदा सूचना की शर्तों और नियमों पर एक समझौता करना होगा।
- 6. किसी भी विवाद की स्थिति में **सक्षम प्राधिकारी** का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।
- 7. कंपनी को तकनीकी बोली के साथ वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पक्ष में डीडी के रूप में 5,000/- रुपये की ई एम डी जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. ए एम सी अनुबंध दिए जाने की तिथि से 31.03.2026 तक की अविध के लिए वैध होगी।
- 9. बॉयोमेट्रिक सिस्टम/सी सी टी वी मदों, यदि कोई हो, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ए एम सी के दायरे में आता है, प्रदान की गई सेवाओं के लिए आंशिक अविध के लिए आनुपातिक शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- 10. अनुलग्नक-II और III (प्रत्येक पृष्ठ पर) पर कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो निविदा सूचना की शर्तों और नियमों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में होगा।
  - 11. तकनीकी या वित्तीय स्तर पर सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 12. केवल ऑनसाइट सहायता बोली पर ही विचार किया जाना चाहिए तथा दूरवर्ती सहायता बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 13. यदि सफल बोलीदाता के पास स्थानीय सेवा नहीं है तो उसे अनुबंध दिए जाने के 15 दिनों के भीतर एक सेवा केंद्र स्थापित करना होगा।
- 14. यदि किसी भी प्रकार की असंगति होती है, तो अंग्रेजी संस्करन प्रभावी रहेगा।

#### व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए नियम और शर्तें

#### 1.0 अनुबंध का कार्यक्षेत्र

- 1.1. जैसा कि अनुलग्नक-। में सूचीबद्ध है यह अनुबंध बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी के निवारक और ब्रेक डाउन रखरखाव को कवर करेगा, जिसमें एन वी आर, डी वी आर आदि शामिल हैं और, जिसमें सॉफ्टवेयर सहित निगरानी प्रणाली के उपकरणों का संतोषजनक संचालन भी शामिल है। अनुबंध में सॉफ्टवेयर का रखरखाव भी शामिल होगा।
- 1.2. रखरखाव अनुबंध व्यापक रखरखाव के लिए है और इसमें सभी स्पेयर पार्ट्स सब-असेंबली की मरम्मत/प्रतिस्थापन शामिल होगा। कंपनी अच्छी गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करेगी, अधिमानतः उसी ब्रांड के जो मूल प्रणाली में उपलब्ध हैं। केवल उपभोज्य मद जैसे उपस्थिति प्रणाली रिपोर्ट, केबल बैटरी, कनेक्टर आदि ए एम सी के अंतर्गत नहीं आएंगे।
- 1.3. ए एम सी के तहत मद की मरम्मत की जाएगी या किसी विशिष्ट शिकायत के खिलाफ 24 घंटे के अंदर समान विन्यास का स्टैंड-बाय प्रदान किया जाएगा। रिपोर्ट करने के समय से, ऐसा न करने पर, निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा: -
- (क) यदि शिकायत का समाधान (स्टैंड-बाय उपलब्ध कराना या मूल उपकरण को ठीक करना) 24 घंटे के अंदर हो जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- (ख) यदि 24 घंटे के बाद स्टैंड-बाय उपलब्ध कराया जाता है, तो मूल हार्डवेयर इकाई को ठीक करने तक 3 दिन के बाद प्रति यूनिट ए एम सी चार्ज का 10%, प्रति दिन प्रति मद जुर्माना लगाया जाएगा।
- (ग) यदि 24 घंटे के बाद भी स्टैंड-बाय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मूल उपकरण को ठीक करने तक प्रति यूनिट ए एम सी चार्ज का 20%, प्रति दिन प्रति मद जुर्माना लगाया जाएगा।
- (घ) यदि मूल उपकरण मरम्मत होने की स्थिति में नहीं है, तो इसे किसी भी स्थिति में एक सप्ताह के अंदर बदल दिया जाएगा, ऐसा न करने पर उपकरण के बुक वैल्यू का 50% जुर्माना लगाया जाएगा।
- (ङ) यदि कंपनी की अभिरक्षा में मूल उपकरण खो जाता है, तो इसे लापरवाही की गंभीर विषय माना जाएगा, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर जुर्माना लगाकर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- 1.4. ए एम सी अविध के दौरान मौजूदा लैन के त्रुटि मुक्त प्रदर्शन तथा एन वी आर, डी वी आर आदि सिहत बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी के रखरखाव को सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेदारी होगी।
- 1.5. कंपनी को समय-समय पर सी सी टी वी और बॉयोमेट्रिक डेटा के बैकअप और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

#### 2.0 अनुबंध की अवधि

- 2.1 यह अनुबंध, अनुबंध दिए जाने के दिनांक अर्थात 01.05.2025 से 31.03.2026 तक की अविध के लिए वैध रहेगा और ये स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 2.2 यदि कार्यालय कंपनी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी को एक महीने का नोटिस देकर ए.एम.सी. अविध पूरी होने से पहले अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 2.3 यदि परिस्थिति की मांग हो, तो सक्षम प्राधिकारी ए.एम.सी. पुरस्कार विजेता कंपनी को वितीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के बाद अपनी सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी को आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। 3.0 ए.एम.सी. के लिए दरें
- 3.1 कंपनियों को सभी विक्रेताओं को जारी किए गए निविदा फॉर्म पर अपनी दरें शब्दों (कुल योग) के साथ-साथ आंकड़ों में भी उद्धृत करनी चाहिए। दरों में सभी कर और शुल्क शामिल होंगे।
- 3.2 प्रस्तावित दरें अनुबंध की पूरी अविध के लिए स्थायी और वैध रहेंगी। अनुबंध अविध के दौरान किसी भी कारण से दरों में संशोधन की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### 4.0 भुगतान शर्ते

- 4.1 वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के बाद चार किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त का भुगतान अनुबंध शुरू होने की तारीख से एक तिमाही/ दो माह के समाप्ति के बाद किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा अलग से विरष्ठ लेखाधिकारी/कंप्यूटर सेल, महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी)-II, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करने के पश्चात कंप्यूटर अनुभाग में बनाए गए उपयोगकर्ता के कॉल रिजस्टर के आधार पर प्रमाणित करेगा कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया गया है। ए एम सी के तहत सभी मशीनों की जाँच के बाद अंतिम तिमाही का भुगतान जारी किया जाएगा। किसी भी मामले में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। दंड आदि के कारण वस्ती तिमाही बिलों से काट ली जाएगी।
- 4.2 आयकर, कार्य अनुबंध कर आदि के लिए जब भी लागू हो, कार्यालय द्वारा स्रोत पर कर का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

#### 5.0 <u>अन्य शर्त</u>े

5.1 प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने के लिए इस कार्यालय के कंप्यूटर अनुभाग में एक लॉग रिजस्टर रखा जाएगा। शिकायत की तिथि और समय, उसका प्रकार रिजस्टर में दर्ज किया जाएगा। इस रिजस्टर में दर्ज शिकायत का समय लॉग समय माना जाएगा। कंपनी के प्रतिनिधि इस रिजस्टर में अपने नाम और हस्ताक्षर के साथ सुधार की तिथि और समय, स्टैंडबाय का प्रावधान आदि दर्ज करेंगे। लॉग रिजस्टर की जाँच और प्रमाणीकरण इस कार्यालय के एक नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसके बाद शिकायत का समाधान माना जाएगा। यदि स्टैंडबाय प्रदान किया गया है, तो स्टैंडबाय को मूल उपकरण द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का समय इस कार्यालय के नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के समय से गणना की जाएगी। जब मरम्मत के बाद मूल

उपकरण वापस किया जाता है, तो कंपनी और इस कार्यालय के प्रतिनिधि इसे लॉग रजिस्टर में दर्ज करेंगे और शिकायत का समाधान माना जाएगा।

- 5.2 बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी की बाहर से लिक्विड क्लीनर से विशेष सफाई के साथ निवारक रखरखाव तिमाही आधार पर किया जाएगा। बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी के बाहरी हिस्सों की सफाई न करने पर कंपनी को देय ए एम सी से प्रति तिमाही 50 रुपये प्रति उपकरण (बॉयोमेट्रिक्स और सी सी टी वी) की राशि काट ली जाएगी। निवारक रखरखाव की रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 5 वें दिन तक इस कार्यालय के उप महालेखाकार/प्रशासन को लिखित रूप में भेजी जाएगी। तिमाही भुगतान, सख्ती से कॉल रजिस्टर और निवारक रखरखाव रजिस्टर/फ़ाइल में सहायक लेखाधिकारी/कंप्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा अनुलेखित संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
- 5.3 जहां तक संभव हो, मरम्मत साइट पर ही की जाएगी। बॉयोमेट्रिक और सी सी टी वी की शिकायतों को देखते हुए सर्विस इंजीनियर द्वारा सर्विस/रखरखाव के लिए आवश्यक औजार/उपकरण लाए जाएंगे। हालांकि, परीक्षण (उपकरण के स्थान पर), मरम्मत आदि के संबंध में आवश्यक बिजली बिंदु प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहायता कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि उपकरण को कार्यशाला में ले जाना आवश्यक है, तो सभी व्यवस्थाएँ कंपनी द्वारा की जाएँगी। कार्यालय भवन के बाहर उपकरण ले जाने के लिए आवश्यक गेट पास कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 5.4 कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर सर्विस कॉल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें विभिन्न शिकायतों के समाधान की स्थिति के साथ-साथ मरम्मत की तिथि और समय दर्शाया जाएगा।
- 5.5 निविदा दस्तावेज के साथ अनुलग्नक II और III को कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुहर सिहत हस्ताक्षरित (प्रत्येक पृष्ठ पर) किया जाना चाहिए।

#### 6.0 सुरक्षा जमा

- 6.1 ए एम सी के लिए सुरक्षा जमा अनुबंध मूल्य का 10% होगा। पहली किस्त का भुगतान बैंक गारंटी/एफ डी आर (एफ डी आर की वैधता अविध अनुबंध अविध + 60 दिन है) जमा करने के बाद जारी किया जाएगा, जो कुल ए एम सी राशि का 10% होगा या कंपनी को देय राशि से सुरक्षा जमा राशि काटने के बाद जारी किया जाएगा।
- 6.2 सुरक्षा जमा (एस डी)/प्रदर्शन गारंटी ए एम सी की अवधि पूरी होने के बाद और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा जारी करने से पहले, संबंधित सेवा प्रदाता से बिना शर्त और स्पष्ट नो क्लेम प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।
- 6.3 सुरक्षा जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

#### 7.0 लागत और क्षति के लिए उत्तरदायित्व

7.1 इस कार्यालय द्वारा कंपनी की ओर से किए जाने वाले सभी नुकसान या व्यय की लागत प्रशासन द्वारा अपने विवेक से देय राशि से या भविष्य में होने वले देय या वापसी योग्य राशि से काटी जा सकती है। इस अनुबंध के तहत कंपनी से वसूली योग्य नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान को रोकने और इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी दावों के विरुद्ध या ठेकेदार को देय

किसी भी अन्य लेनदेन के खिलाफ इसे सेट ऑफ करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

7.2 ठेकेदार श्रम से संबंधित सभी केंद्रीय/राज्य विधानों का पालन करेगा जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम या कोई अन्य प्रचलित अधिनियम/कानून।

#### 8.0 <u>अनुबंध</u>

सफल बोलीदाता को उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज -211001 या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के साथ बोलीदाताओं को दिए गये निर्देशों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए एक करार निष्पादित करना होगा।

#### 9.0 अधिकार क्षेत्र

इस अनुबंध/करार से उत्पन्न या इससे संबंधित सभी विवाद और मतभेद केवल प्रयागराज स्थित न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

> ह./-वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

अनुलग्नक-1 2025-26 के दौरान ए एम सी के अंतर्गत आने वाली बॉयोमेट्रिक मशीनों/सी सी टी वी/एन वी आर/डी वी आर/सॉफ्टवेयर की सूची

सिस्टम का निर्माण और	ए एम सी की अवधि	इकाई
विन्यास		
टाइम डेस्क सॉफ्टवेयर	01.05.2025 - 31.03.2026	01
(प्रयागराज में)		
टाइम डेस्क सॉफ्टवेयर (शाखा	01.05.2025 - 31.03.2026	01
कार्यालय लखनऊ में)		
फिंगरप्रिंट पहचान डिवाइस	01.05.2025 - 31.03.2026	10
(निर्माण: टाइम डेस्क)		
(प्रयागराज में)		
फिंगरप्रिंट पहचान डिवाइस	01.05.2025 - 31.03.2026	02
(निर्माण: टाइम डेस्क) (शाखा		
कार्यालय लखनऊ में)		
पी टी जेड कैमरा (सम्मेलन	01.05.2025 - 31.03.2026	01
हॉल)		
सी सी टी वी कैमरा सैमसंग	01.05.2025 - 31.03.2026	15
(गुंबद) (प्रयागराज में)		
सी सी टी वी कैमरा सैमसंग	01.05.2025 - 31.03.2026	04
(गुंबद) (शाखा कार्यालय		
लखनऊ में)		
सी सी टी वी कैमरा सैमसंग	01.05.2025 - 31.03.2026	08
(बुलेट) (प्रयागराज में)		
16 चैनल एन वी आर-	01.05.2025 - 31.03.2026	01
सैमसंग (प्रयागराज में)		
4 चैनल एन वी आर-सैमसंग	01.05.2025 - 31.03.2026	02
(प्रयागराज में)		
4 चैनल एन वी आर-	01.05.2025 - 31.03.2026	01
सैमसंग/हिकविजन (शाखा		

कार्यालय लखनऊ में)		
सी पी प्लस 4 चैनल डी वी	01.05.2025 - 31.03.2026	02
आर (प्रयागराज में)		
सी सी टी वी कैमरा सी पी	01.05.2025 - 31.03.2026	02
मेक (डोम) (प्रयागराज में)		
सी सी टी वी कैमरा	01.05.2025 - 31.03.2026	04
हिकविजन/(एनालॉग बुलेट)		
(प्रयागराज में)		
दीवार पर लगाई जाने वाली	01.05.2025 - 31.03.2026	04
डिस्प्ले यूनिट (सैमसंग 20		
इंच)		
केबल और उनके सभी घटकों	01.05.2025 - 31.03.2026	01 कार्य
सहित संपूर्ण नेटवर्किंग का		
रखरखाव। (प्रयागराज और		
लखनऊ स्थानों पर)		

हः/-वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

अनुलग्नक-॥ बॉयोमेट्रिक्स और सी सी टी वी के व्यापक रखरखाव हेतु तकनीकी बोली प्रोफार्मा (एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, अर्थात "तकनीकी बोली")

क्रमांक	(अनिवार्य सूचना संलग्नक)	सूचना का विवरण	विवरण दर्शाने वाला
			पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी का नाम और पता। यदि कोई		
	बाहरी कंपनी है तो प्रयागराज में		
	उसका शाखा कार्यालय (सेवा केंद्र)		
	होना चाहिए और कृपया उसका पता		
	बताएं।		
2.	मौजूदा सरकारी संगठन में कम से		
	कम तीन वर्षों तक सफलतापूर्वक		
	निष्पादित सी सी टी वी और		
	बॉयोमेट्रिक ए एम सी कार्य आदेश		
	की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।		
3.	क्या कंपनी का कोई स्थानीय सेवा		
	केंद्र हैं जहां से सेवाएं प्रदान की		
	जाएंगी?		
4.	सेवा केंद्र के पास उपलब्ध तकनीकी		
	रूप से योग्य कर्मियों का नाम और		
	पदनाम जो इस कार्यालय की		
	शिकायत कॉल में भाग लेंगे, संलग्न		
	किया जाना चाहिए।		
5.	कंपनी द्वारा दाखिल किए गए		
	पैन/टैन/जी एस टी और नवीनतम		
	आयकर रिटर्न (आई टी आर) या जी		
	एस टी रिटर्न (जी एस टी आर) की		
	प्रति संलग्न की जानी चाहिए।		
6.	तकनीकी बोली के साथ 5,000/-		
	रुपये की ई एम डी डी डी के रूप में		
	"वेतन एवं लेखाधिकारी" कार्यालय		
	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I,		

	उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पक्ष में	
	संलग्न की जानी चाहिए।	
7.	कंपनी को सरकारी संगठन के साथ	
	कंपनी/फर्म/विक्रेता के रूप में पंजीकृत	
	होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र	
	की एक प्रति संलग्न की जानी	
	चाहिए।	

अधिकृत प्रतिनिधि के दिनांकित हस्ताक्षर: कंपनी की मुहर:

> ह./-वरिष्ठ लेखाधिकारी/कंप्यूटर प्रकोष्ठ

अनुलग्नक-III बॉयोमेट्रिक्स और सी सी टी वी के व्यापक रखरखाव हेतु वितीय बोली प्रोफार्मा (एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, अर्थात "तकनीकी बोली")

सिस्टम का निर्माण और विन्यास	ए एम सी की अवधि	इकाई	ए एम सी दर	कुल राशि
			प्रति इकाई	
टाइम डेस्क सॉफ्टवेयर	01.05.2025 -	01		
(प्रयागराज में)	31.03.2026			
टाइम डेस्क सॉफ्टवेयर (शाखा	01.05.2025 -	01		
कार्यालय लखनऊ में)	31.03.2026			
फिंगरप्रिंट पहचान डिवाइस	01.05.2025 -	10		
(निर्माण: टाइम डेस्क) (प्रयागराज	31.03.2026			
में)				
फिंगरप्रिंट पहचान डिवाइस	01.05.2025 -	02		
(निर्माण: टाइम डेस्क) (शाखा	31.03.2026			
कार्यालय लखनऊ में)				
लाजिटेक पी टी जेड कैमरा	01.05.2025 -	01		
(सम्मेलन हॉल)	31.03.2026			
सी सी टी वी कैमरा सैमसंग	01.05.2025 -	15		
(गुंबद) (प्रयागराज में)	31.03.2026			
सी सी टी वी कैमरा सैमसंग	01.05.2025 -	04		
(गुंबद) (शाखा कार्यालय लखनऊ	31.03.2026			
में)				
सी सी टी वी कैमरा सैमसंग	01.05.2025 -	08		
(बुलेट) (प्रयागराज में)	31.03.2026			
16 चैनल एन वी आर-सैमसंग	01.05.2025 -	01		
(प्रयागराज में)	31.03.2026			
4 चैनल एन वी आर-सैमसंग	01.05.2025 -	02		
(प्रयागराज में)	31.03.2026			
4 चैनल एन वी आर-	01.05.2025 -	01		
सैमसंग/हिकविजन (शाखा	31.03.2026			
कार्यालय लखनऊ में)				
सी पी प्लस 4 चैनल डी वी आर	01.05.2025 -	02		

(प्रयागराज में)	31.03.2026		
सी सी टी वी कैमरा सी पी मेक	01.05.2025 -	02	
(डोम) (प्रयागराज में)	31.03.2026		
सी सी टी वी कैमरा	01.05.2025 -	04	
हिकविजन/(एनालॉग बुलेट)	31.03.2026		
(प्रयागराज में)			
दीवार पर लगाई जाने वाली	01.05.2025 -	04	
डिस्प्ले यूनिट (सैमसंग 20 इंच)	31.03.2026		
केबल और उनके सभी घटकों	01.05.2025 -	01	
सहित संपूर्ण नेटवर्किंग का	31.03.2026	कार्य	
रखरखाव। (प्रयागराज और			
लखनऊ स्थानों पर)			
	कुल उद्धत राशि (क)		
	सभी लागू कर, यदि कोई		
	हो, उद्धत राशि से अधिक		
	(ख)		
	उद्धत राशि का कुल योग		
	(ক+অ)		
	उद्धत राशि का कुल योग		
	(शब्दों में)		

अधिकृत प्रतिनिधि के दिनांकित हस्ताक्षर:

ह./-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

कंपनी की मुहर:

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, U.P. 20 SAROJINI NAIDU MARG, PRAYAGRAJ-211001

# Notice Inviting Tender

Comprehensive Annual Maintenance Contract of CCTV and Biometric Machines for <u>FY 2025-26 i.e.</u> 01.05.2025 to 31.03.2026

Due date and time for submission of tender:

On 16.04.2025 upto 11:00 AM

### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, U.P. 20 SAROJINI NAIDU MARG, PRAYAGRAJ-211001

Subject: Limited Sealed Tenders are invited from interested and eligible firms for Comprehensive Annual Maintenance Contract of Biometric Machines & CCTVs etc. installed/running at Prayagraj Head Office & Lucknow Branch Office for the FY 2025-26 i.e. 01.05.2025 to 31.03.2026.

The office of the AG (A&E) –II U.P., Prayagraj intend to obtain Limited Sealed Tenders for the comprehensive Annual Maintenance Contract of Biometric Machines & CCTVs of this office (main office at Prayagraj and branch office at Lucknow location) including NVRs, DVRs Display Unit etc. as per Annexure-I with the following additional information: -

- 1. All the Biometric Machines and CCTVs are installed in this office (Prayagraj and its branch office at Lucknow) as per Annexure-I and are in working condition. However, the firm may check/inspect it to their satisfaction from 03.04.2025 to 07.04.2025 between 10:30 AM to 01:30 AM before tendering the rates. Any change in rates shall not be permissible after submission of bids.
- 2. The bids shall be submitted in the "Two Bid System" manner i.e. (i) Technical bid should indicate business profile of the firm as per Annexure-II and (ii) The Financial bid should indicate the maintenance rate in the prescribed format provided in Annexure-III considering all the terms and conditions of the tender enquiry. The bids should be submitted for comprehensive AMC and indicate rates for each item separately. At first, Technical bid shall be evaluated in respect of the bidder's profile and then, Financial bid shall be evaluated only for those bidders who qualify in Technical bid. Technical bid must be kept in a separate envelope clearly mentioning "Technical Bid for Comprehensive Maintenance of Biometric & CCTVs" and Financial bid must be kept in a separate envelope clearly mentioning "Financial Bid for Comprehensive Maintenance of Biometric & CCTVs". Both Technical bid and Financial bid should be kept in a single envelope with title "Quotations for comprehensive maintenance of biometric machines & CCTVs".
- 3. Rate/unit and total amount should be mandatorily quoted in tender document for all the items mentioned in Financial bid. However, L-1 firm will be determined on overall prices quoted by the firm.
- 4. Duly filled in quotations should be addressed and sent to Shri D. C. Chaturvedi (Sr. AO), O/o the AG (A&E)-II, 20, Sarojini Naidu Marg, UP, Prayagraj-211001 or may be dropped in the box kept in officer's chamber so as to reach us on or before 16.04.2025 by 11:00 AM. No tender will be entertained received after due time and date. The technical bids shall be opened in the presence of the interested bidders, if so, on 16.04.2025 at 11:45 AM. The financial bid shall be opened on the date as prescribed by the committee/competent authority of this office.
- 5. The successful bidder has to enter into an agreement on terms and conditions of this tender notice.
- **6.** The decision of the **Competent Authority** shall be final and binding to the bidder in case of any dispute.

- 7. The firm must submit an EMD of Rs. 5,000/- in form of DD in favour of Pay and Accounts Officer, Office of the Accountant General (A&E)-I, UP Prayagraj along with technical bid. Failing which the bids shall not be entertained.
- **8.** The AMC will be valid for the period from the date of awarding the contract to 31.03.2026
- **9.** Biometric systems/CCTVs items, if any, and which comes under purview of AMC during the FY 2025-26, proportionate charges for fraction period will be paid for the services provided.
- 10. Annexure-II and III (on each page) shall be signed with seal of the authorized representative of the firm as token of accepting terms and conditions of the tender notice.
- 11. Conditional bids either at technical or at financial stage shall not be entertained.
- 12. Only onsite support bid should be entertained and support by mean of remote in bid shall not be entertained.
- 13. If Successful bidder not have a local service shall have to establish one service center within 15 days of award of contract.
- 14.In case of any discrepancy the English version will prevail.

Sd/-

Sr. Deputy Accountant General/Admin

#### Terms and Conditions for Comprehensive Annual Maintenance Contract

#### 1.0 SCOPE OF THE CONTRACT

- 1.1. This contract shall cover preventive and break down maintenance of Biometric and CCTV including NVRs, DVRs etc. as listed in Annexure-I and satisfactory working of equipment of surveillance system including software. The contract shall also include maintenance of software.
- 1.2. The maintenance contract is for comprehensive maintenance and shall include repairs/replacement of all spare parts sub- assemblies. The firm shall use good quality spare parts, preferably of same brand as that available in the original system. Consumable items viz. attendance system reports, cable batteries, connectors etc. only shall not be covered under AMC.
- 1.3. The items under AMC shall be repaired or provided a stand-by of similar configuration against any specific complaint within 24 Hrs. from the time of reporting, failing which, the penalty shall be imposed as under: -
  - (a) If complaint is resolved (either providing stand-by or setting original equipment right) within 24 Hrs., no penalty shall be levied.
  - (b) If stand-by is provided after the 24 Hrs, penalty of 10% of the per unit AMC charge, per day per item shall be levied after 3 days till the original hardware unit is set right.
  - (c) If stand-by not provided even after the 24 hrs., penalty of 20% of the per unit AMC charge, per day per item shall be levied till the original equipment is set right.
  - (d) If original equipment becomes beyond repair, it shall in any case be replaced within a week, failing which a penalty of 50% of the book value of the equipment shall be levied.
  - (e) If original equipment is lost in the custody of firm, it shall be considered as serious concern of carelessness, and the loss will be compensated by levying penalty as competent authority may think fit.
- 1.4. It shall be the responsibility of the firm to ensure error free performance of existing LAN and maintenance of Biometric and CCTV including NVRs, DVRs etc. as listed in Annexure-I during AMC period.
- 1.5. The firm may be asked to provide information on backup and recovery process of CCTV and biometrics data from time to time.

#### 2.0 PERIOD OF THE CONTRACT

- 2.1 This contract shall remain valid for a period from the date of award of the contract i.e. from 01.05.2025 to 31.03.2026 and shall be specified in the letter of acceptance.
- 2.2 If the office is not satisfied with the performance of the firm, the contract may be terminated before completion of AMC period by giving one-month notice to the firm. The decision of competent authority shall be final in this regard.

2.3 If situation demands, Competent Authority may direct AMC awardee firm to provide their services after expiry of FY 2025-26. The firm shall be paid pro rata basis for services provided in this situation.

#### 3.0 RATES FOR AMC

- 3.1 The firms should quote their rates in words (Grand Total) as well as in figures on the tender form issued to all the vendors. The rates shall be **inclusive of all taxes and duties.**
- 3.2 The rates offered shall remain FIRM and VALID for the full period of the contract. No demand for revision of rate on any account shall be entertained during the contract period.

#### 4.0 PAYMENT TERMS

- 4.1 The annual maintenance charges would be paid in four installments after completion of each quarter. First installment would be due for payment after expiry of the quarter or two months from the date of commencement of the contract. Payment would be made on submission of bills separately by the contractor to Sr. Accounts officer/Computer Cell, O/O the AG (A&E)-II, UP, Prayagraj, who shall certify, based on User's call register maintained in Computer Cell Section after ensuring that the work has been executed satisfactorily as per terms and conditions of the agreement. The last quarter payment will be released after all the machines under AMC are checked. No advance payment in any case would be made. Recoveries on account of penalties etc. shall be deducted from the quarterly bills.
- 4.2 Deduction of Tax at source shall be made by the office, whenever applicable for Income Tax; Works contract Tax etc. as per rules.

#### 5.0 OTHER TERMS

- 5.1 A log register shall be maintained in the Computer Cell section of this office for recording the complaints received. The date and time of complaint, its type shall be recorded in the register. The time of complaint recorded in this register shall be considered as the log time. The firm's representative shall record there the date and time of rectification with their name and signature, provision of standby etc. in this register. The log register will be checked and authenticated by a designated officer of this office and the complaint would then be considered as resolved. If standby has been provided, then the time in which the standby should be replaced by the original equipment would be calculated from the time of authentication by the designated officer of this office. When the original equipment is returned after repair, the representatives of the firm and this office would record it in the log register and the complaint would be treated as resolved.
- 5.2 Preventive maintenance with special cleaning of the Biometric and CCTV from outside with liquid cleaner will be carried out on quarterly basis. Failure to clean external parts of Biometric and CCTV and an amount of **Rs. 50/- per equipment** (Biometrics and CCTV) per quarter will be deducted from the AMC payable to the firm. The report of preventive maintenance shall be sent quarterly by 5<sup>th</sup> day of expiry of each quarter to Dy. Accountant General/Admin of this office in writing. The quarterly payment shall strictly be made on the basis of satisfactory report as endorsed by AAO/Computer Section in the call register and preventive maintenance register/file.

- 5.3 As far as possible, the repairs would be carried out on-site itself. Necessary tools/equipment for service/maintenance will be brought by the Service Engineer while attending the complaints of Biometric and CCTV. However, all necessary assistance for providing electricity points needed in connection with testing (at the location of equipment), repairing etc. shall be provided by the office. In case the equipment is required to be taken to workshop, all arrangements shall be made by the firm. Necessary Gate Pass for taking the equipment outside the office building shall be provided by the office.
- 5.4 Service Call Report shall be submitted quarterly by the firm indicating the status of attending of various complaints along with date and time of repairing.
- 5.5 Tender document along with Annexures II and III should be undersigned (on each page) by Authorized representative of firm with Seal.

#### 6.0 **SECURITY DEPOSIT**

- 6.1 Security Deposit for the AMC shall be 10% of the contract value. First installment payment will be released after submission of Bank Guarantee/FDR (Validity of FDR is contract period + 60 days) equal to 10% of total AMC amount or after deducting the security deposit amount from the amount due to the firm.
- 6.2 Security Deposit (SD)/Performance Guarantee shall be returned to the contractor after the completion of the period of the AMC and after the approval of the competent authority. Before releasing the Security Deposit, an unconditional & unequivocal no claim certificate from the service provider concerned shall be obtained.
- 6.3 No interest will be payable on the Security Deposit or amounts payable to the contractor under the contract.

#### 7.0 LIABILITY FOR COSTS & DAMAGES

- 7.1 All costs of damages or expenses which this office may incur on the part of the firm may be deducted by the administration at his discretion either from money due or to become due or refundable to him. The competent authority reserves all the rights and shall be entitled to retain payments to the extent of damages recoverable from the firm under this contract and to set off the same against all claims whether arising out of this contract or out of any other transaction whatever due to the contractor.
- 7.2 Contractor shall follow all Central/State legislations related to labour e.g. Minimum wages act, Workmen compensation act or any other act/law in vogue.

#### 8.0 AGREEMENT

The successful bidder shall be required to execute an agreement with the President of India acting through Deputy Accountant General, (Admin) O/o the AG (A&E)-II U.P. Prayagraj-211001 or officer authorized by him for carrying out the work according to the instructions to bidders and conditions of contract.

#### 9.0 JURISDICTION

All the disputes and differences arising out of or in connection with this contract/agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Law at Prayagraj only.

Annexure -I
List of Biometric Machines/CCTVs/ NVRs/DVRs/Software to be covered under AMC
during 2025-26

Make & Configuration of Systems	Period of AMC	unit
Time Desk Software (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	01
Time Desk Software (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	01
Fingerprint recognition device (Make: Time Desk) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	10
Fingerprint recognition device (Make: Time Desk) (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	02
PTZ Camera (Conference Hall)	01.05.2025 - 31.03.2026	01
CCTV Camera Samsung (Dome) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	15
CCTV Camera Samsung (Dome) (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	04
CCTV camera Samsung (Bullet) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	08
16 Channel NVR-Samsung (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	01
4 Channel NVR-Samsung (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	02
4 Channel NVR-Samsung/HikVision (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	01
CP PLUS 4 Channel DVR (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	02
CCTV Camera CP Make (Dome) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	02
CCTV Camera Hikvision/ (Analog Bullet) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	04
Wall Mounted Display Unit (Samsung 20 inch)	01.05.2025 - 31.03.2026	04
Maintenance of total Networking with cables and all their components. (at Prayagraj and Lucknow Locations)	01.05.2025 - 31.03.2026	01 JOB

Sd/-

Sr. Accounts Officer/ Computer Cell

#### **Annexure-II**

# <u>Technical bid proforma for Comprehensive Maintenance of Biometrics and CCTVs</u> (To be kept in a separate sealed cover i.e. "Technical Bid")

Sl. No.	(Mandatory Information enclosures)	Details of Information	Page. No showing details
	Name of the firm and address. In case an outstation		
1.	firm must have branch office (Service Center) in		
	Prayagraj and kindly mention the address of same.		
2.	Copy of CCTV and Biometric AMC work order executed		
	successfully for minimum three years in the existing Govt.		
	organization must be enclosed.		
3.	Will there be local service Centre of the firm from which		
	services would be provided?		
4.	Name and designation of the technically qualified		
	personnel available with the service center who shall attend		
	the complaint call of this office must be enclosed.		
5.	Copy of PAN/TAN/GST and Copy of the latest Income		
	Tax Return(ITR) or GST Return (GSTR) filed by the firm		
	must be enclosed.		
6.	EMD of Rs. 5,000/- to be enclosed in form of DD in		
	favour of "Pay and Accounts Officer" O/o the AG (A&E)-		
	I, U.P., Prayagraj along with technical bid.		
7.	The firms must be registered as a company/firm/vendor		
	with Govt. Organization. A copy of the registration		
	certificate must be enclosed.		

Dated signature of the authorized representative:

Seal of the Firm:

Sd/-

Sr. Accounts Officer/Computer Cell

# Annexure-III Financial bid proforma for Comprehensive Maintenance of Biometric and CCTV

(To be kept in a separate sealed cover i.e. "Financial Bid")

Make & Configuration of Systems	Period of AMC	unit	AMC Rates per unit	Total Amount
Time Desk Software (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	01		
Time Desk Software (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	01		
Fingerprint recognition device (Make: Time Desk) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	10		
Fingerprint recognition device (Make: Time Desk) (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	02		
Logitech PTZ Camera (Conference Hall)	01.05.2025 - 31.03.2026	01		
CCTV Camera Samsung (Dome) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	15		
CCTV Camera Samsung (Dome) (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	04		
CCTV camera Samsung (Bullet) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	08		
16 Channel NVR-Samsung (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	01		
4 Channel NVR-Samsung (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	02		
4 Channel NVR-Samsung/HikVision (at Lucknow Branch Office)	01.05.2025 - 31.03.2026	01		
CP PLUS 4 Channel DVR (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	02		
CCTV Camera CP Make (Dome) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	02		
CCTV Camera Hikvision/ (Analog Bullet) (at Prayagraj)	01.05.2025 - 31.03.2026	04		
Wall Mounted Display Unit (Samsung 20 inch)	01.05.2025 - 31.03.2026	04		
Maintenance of total Networking with cables and all their components. (at Prayagraj and Lucknow Locations)	01.05.2025 - 31.03.2026	01 JOB		
	Total Quote	d Price (A):		
All applic	able taxes, if any, over quote	ed price (B):		
	Grand total of the quoted p	orice (A+B):		
Gr	and total of the quoted price	(in words):		

Dated signature of the authorized representative:

Seal of the Firm:

Sr. Accounts Officer/Computer Cell